न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 80/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00084)

1. रामदेव पुत्र भजनाराम, जाति जाट निवासी ढाणी हरजीवाला तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. **श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 19.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2000 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 100 राजकीय गैर मुमकिन रड़ा ग्राम बबाई में से 240 वर्गमीटर पर पत्थर डालना मानकर विधि विरूद्ध तरीके से प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए अपीलार्थी को बेदखली का एवं तीन माह के सिविल कारावास व 43/—रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित आदेश दिनांक 06.09.1998 पारित किया है जिस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2000 पारित किया है जो विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने के कारण खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में अहम कानूनी भूल कारित की है क्योंकि अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण करने हेतु पत्थर नही डालवाये है बल्कि अपीलान्ट भारतीय सैना से सेवानिर्वत होकर आया था तथा अपना मकान बनाने के लिये ट्रक में पत्थर मंगवाये थे जो अपने घर तक पहुॅच मार्ग रास्ते के अभाव में पत्थर अपने घर तक नही ला सका। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने में भी कानूनी भूल की है क्योंकि पूर्व में अपीलान्ट को बेदखल नही किया गया और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपीलार्थी अपना मकान नही बनवा सका और पत्थर मौके पर ही पड़े रहे गये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.1998 व 16.08.2000 निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का बबाई की रिपोर्ट दिनांक 08.09.1998 के अनुसार सम्वत् 2054 में आराजी खसरा नम्बर 100 गैर मुमकिन रड़ा ग्राम बबाई की 240 वर्गगज भूमि पर अपीलार्थी ने पत्थर डालकर कब्जा किया गया है तथा उक्त तथ्य की जॉच निरीक्षक भू अभिलेख द्वारा कर अतिक्रमण की पुष्टि की गई एवं सम्वत् 2053 में भी अतिक्रमी के पत्थरों की नीलामी कर मौके से बेदखल की कार्यवाही की गई तथा अपीलान्ट के बयान दिनांक 13.04.1998 पटवारी हल्का के बयान दिनांक 06.09.1998 एवं पटवारी हल्का की दैनिक डायरी एवं खसरा परिवर्तशील सम्वत 2053 एवं 2054 से अपीलान्ट का विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित होने से ही अधीनस्थ न्यायालयों अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जिनमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2000 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
19/1/23